न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 14/2018 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. मु0 ग्यारसी देवी बेवा मूलीराम उम्र 65 वर्ष जाति मीना निवासी ग्राम शाहजहानपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
2. कल्याण पुत्र रामचन्द्रा जाति मीना निवासी ग्राम शाहजहानपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. कमोदर (पि. स्व. बिरधा)
2. बाबूलाल (पि. स्व. बिरधा)
3. रोहिताश पुत्र स्व. जगदीश
4. शमली पत्नि स्व. जगदीश
5. गुल्ली पत्नि स्व. कजोड
6. रामकेश (पि. स्व. कजोड)
7. सन्तोष (पि. स्व. कजोड)
8. रामबिलास (पि. स्व. कजोड)
9. विजेन्द्र (पि. स्व. कजोड)

समस्त जाति मीना निवासी शाहजहानपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

10. तहसीलदार तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
11. भू आवंटन सलाहकार समिति लालसोट जरिये उप जिला कलक्टर रामगढ पचवारा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 दिनांक 17.7.1965 अप्रार्थीगण के पिता बिरधा पुत्र श्योनारायण तथा छीतर पुत्र ग्यारसा के हक में ख. नं. 34 रकबा 10 बीघा भूमि स्थित ग्राम शाहजहानपुरा तहसील लालसोट हाल तहसील रामगढ पचवारा में किया है)

उपस्थिति : पं. रामबाबू शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री संजीव जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 व 5 लगायत 9 उपस्थित।

—:निर्णयः— **दिनांकः 04.07.2023**

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) के तथ्य इस प्रकार से है कि खसरा नम्बर 34 नवीन खसरा नम्बर 229/34 वाके ग्राम शाहजहानपुरा तहसील लालसोट हाल तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा में स्थित भूमि किस्म सिवायचक दर्ज थी। उक्त भूमि का अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 5 के पूवर्ज बिरधा पुत्र श्योनारायण, अप्रार्थी सं. 6 लगा. 8 के पूर्वज छीतर पुत्र ग्यारस्या के हक में आवंटन कमेटी के द्वारा दिनांक 17.7.1965 को बिना कब्जे की जांच किये बिना ही 10 बीघा भूमि का गलत रूप से आवंटन कर दिया। जबकि बरोज आवंटन इन दोनो के पास काफी तादाद में खातेदारी की जमीन मौजूद थी। उक्त अवैध आवंटन के आधार पर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की कब्जेशुदा भूमि पर जबरन कब्जा कर उन्हें बेदखल करने पर आमादा है। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवंटन आदेश दिनांक 17.07.1965 को निरस्त करवाये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र 14(4) न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र 14(4) पेश होने पर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल आवंटन अभिलेख तलब किया गया। बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि भूमि खसरा नं. 34 नवीन खसरा नम्बर 229/34 वाके ग्राम शाहजहानपुरा तहसील लालसोट हाल तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा में स्थित भूमि किस्म सिवायचक दर्ज थी। अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 5 के पूर्वज बिरधा पुत्र श्योनारायण, अप्रार्थी सं. 6 लगा. 8 के पूर्वज छीतर पुत्र ग्यारस्या के हक में आवंटन कमेटी के द्वारा दिनांक 17.7.1965 को आवंटन कमेटी के द्वारा गलत रूप से आवंटन कर दिया। इस अवैध आवंटन के आधार पर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की कब्जेशुदा भूमि पर जबरन कब्जा कर उन्हें बेदखल करने पर आमादा है। प्रश्नगत आवंटन दिनांक 17.07.1965 अप्रार्थीगण के हक में बिना कब्जें की जांच किये बिना किया है। जबकि बरोज आवंटन इस भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का था तथा आज भी वास्तविक तौर पर प्रार्थीगण का ही कब्जा है। बिरधा पुत्र श्योनारायण के द्वारा आवंटन कमेटी के समक्ष जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था उसमें स्वयं को भूमिहीन व्यक्ति बताया है जबकि बरोज आवंटन बिरधा पुत्र श्योनारायण व छीतर पुत्र ग्यारसा दोनो के नाम रेवेन्यू रिकार्ड में ख. नं. 66, 67, 86, 129, 130 किता 5 कुल रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा में अलग–अलग हिस्सा अनुसार भूमि दर्ज थी। इसके अलावा ख. नं. 85 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा में भी इन दोनो के नाम खातेदारी अंकित थी। उक्त आवंटन के समय उसी तारीख को बिरधा पुत्र श्योनारायण को खसरा नम्बर 140 ग्राम शाहजहानपुरा में 10 बीघा भूमि आवंटन की गई। प्रश्नगत आवंटन में पारदर्शिता का अभाव रहा है न तो उद्घोषणा जारी की गई न प्रश्नगत आवंटन पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर किये गये। आनन–फानन में बिना कब्जे की जांच किये बिना ही अप्रार्थीगण को गलत रूप से आवंटन कर दिया। अप्रार्थीगण ने स्वयं को कपट से अपने आपको भूमिहीन बताकर एक ही दिन में आवंटन करवाया है जो गलत है। इसलिये प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 17.07.1965 निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **RRT- 2009(1) 113, RRT- 2015(2) 790, RRT- 2019(1) 367** पेश किये गये।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 व 6 लगा. 9 द्वारा जवाब बहस के दौरान निवेदन किया कि अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 5 के पूर्वज बिरधा पुत्र श्योनारायण, अप्रार्थी सं. 6 लगा. 8 के पूर्वज छीतर पुत्र ग्यारस्या के हक में आवंटन कमेटी के द्वारा दिनांक 17.7.1965 को किया गया आवंटन पूर्ण विधि प्रक्रिया अपनाकर विधिवत उद्घोषणा जारी करते हुए सभी नियमों को देखकर किया गया है। उक्त भूमि आवंटन योग्य सिवायचक भूमि थी। आवंटन हेतु आवंटी की जो अर्हता है उसका आकलन करके आवंटन किया जाता है। आवंटन समिति हल्का पटवारी, आईएलआर व तहसीलदार से रिपोर्ट लेती है। प्रार्थीगण ने बताया है कि आवंटन से पहले आवंटी के पास काफी भूमि थी जबकि प्रार्थीगण द्वारा कथित 22 बीघा सम्पूर्ण भूमि आवंटी के पास नहीं थी। प्रार्थीगण यह प्रार्थना पत्र लगभग 53 वर्ष उपरान्त लाये है। प्रार्थीगण को आवंटन की प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारी थी एवं इतनी लम्बी अवधि पश्चात् आवंटन के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो कि पोषणीय नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र 14(4) अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की नियत से पेश किया गया है। अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 9 सद्भावी कृषक है। तभी इनको खातेदारी मिली है। खातेदारी अधिकार दिये जाने के पश्चात् अलॉटमेन्ट खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र झूंठा आधार बनाकर एवं झूंठे तथ्यों का वर्णन करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवंटन दिनांक 17.7.1965 से पहले खाद्यान का अभाव था इसलिये सरकार की तरफ से मुहिम थी कि ज्यादा से ज्यादा जमीन आवंटन की जाकर काबिल काश्त बनाई जावे। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पूर्ण पालना की जा रही है। हम पूर्ण रूप से आवंटनशुदा भूमि पर काबिज है। उक्त आवंटन की कार्यवाही मजमे आम में समस्त कानूनी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए की गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम खारिज फरमाये जावे। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **RRT- 2007(2) Page 1081, RRT 2009(1) Page 453, RRT- 2007(2) Page 1194, RRT- 2007(2) Page 1240, RRT- 2007(2) Page 1430, RRT- 2007(1) Page 662** पेश किये गये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>प्रार्थना पत्र 14(4) मु. सं.:14/2018</u>

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही अधिवक्तागण उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के पिता बिरधा पुत्र श्योनारायण तथा छीतर पुत्र ग्यारसा के हक में दिनांक 17.07.1965 को आवंटन किया गया है। जिसकी कब्जा सुपुर्दगी की गई है। आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने बाबत् आवंटी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई हो, ऐसा भी कोई तथ्य/सबूत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवंटन हुए लगभग 53 वर्ष से अधिक हो गये है। प्रार्थीगण द्वारा स्वयं के लिये अनुतोष प्राप्त करने हेतु कोई आवेदन पत्र तत्समय सक्षम प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया गया हो। ऐसा भी कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 17.07.1965 ग्राम शाहजहानपुरा तहसील लालसोट हाल तहसील रामगढ पचवारा के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(सुरेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

न्यायालय की मुद्रा
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 04.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा